

बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय

पत्रांक :- 430711, मु0मं0स0, पटना
प्रेषक,

दिनांक 16/4/15

चंचल कुमार,
मुख्यमंत्री के सचिव।
सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार, पटना
महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- मुख्य मंत्री राहत कोष के न्यासी पर्वद की दिनांक 09.04.2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 09.04.2015 को सम्पन्न मुख्य मंत्री राहत कोष
के न्यासी पर्वद की बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित कार्यवाही की एक प्रति इस
पत्र के साथ संलग्न है ।

उक्त कार्यवाही पर माननीय मुख्य मंत्री-सह-अध्यक्ष, न्यासी पर्वद,
मुख्य मंत्री राहत कोष का अनुमोदन प्राप्त है ।

o/c

विश्वासभाजन,

(चंचल कुमार)
मुख्यमंत्री के सचिव

मुख्य मंत्री राहत कोष की न्यासी पर्वद की दिनांक 09.04.2015 को सम्पन्न 14वीं बैठक की

कार्यवाही

क्र० सं०	प्रस्ताव	न्यासी पर्वद का निर्णय
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सम्पुष्ट किया गया
2.	मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
3.	मुख्य मंत्री राहत कोष न्यासी पर्वद के तत्कालीन सदस्य-सचिव श्री दीपक कुमार तथा श्री अमृत लाल मीणा के स्थानान्तरण के फलस्वरूप मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के सचिव श्री चंचल कुमार को न्यासी पर्वद का सदस्य-सचिव मनोनयन संबंधी प्रस्ताव न्यासी पर्वद के अनुमोदनार्थ उपस्थापित	स्वीकृत
4.	पिछले न्यासी पर्वद की दिनांक 29.09.2014 को 13वीं बैठक के उपरांत दिनांक 08.04.2015 तक राज्य के 151 (एक सौ इक्यावन) निर्धन-सह- मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की गयी 29,24,671/-रुपये की आर्थिक सहायता की सूचना न्यासी पर्वद को दी गयी।	सूचना ग्रहण किया गया
5.	परिशिष्ट 'ग' में वर्णित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में 60 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/-रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान एवं कंडिका 3 में वर्णित तथ्य के अनुरूप मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। राशि 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये व्यय के स्वीकृति की सूचना न्यासी पर्वद को दी गयी।	सूचना ग्रहण किया गया
	परिशिष्ट 'घ' में वर्णित विभिन्न आकस्मिक दुर्घटनाओं/गैर प्राकृतिक आपदाओं में माननीय मुख्य मंत्री के घोषणानुसार 30 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। स्वीकृत की गई राशि 18.00 लाख (अठारह लाख) रुपये व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
6.	दिनांक 14.12.2014 को पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखण्ड के ग्राम-ब्रहमपुरा के बंधार में कुल 04 (चार) व्यक्तियों की हुई सामूहिक हत्या के फलस्वरूप मृतक के निकटतम आश्रितों को माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा एवं जिला पदाधिकारी, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रति मृतक 1,00,000/-रुपये की दर से आर्थिक सहायता भुगतान हेतु कुल 4.00 लाख (चार लाख) रुपये मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत किया गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
7.	दिनांक 29.09.2013 को मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत ग्राम-नरौलीडीह, थाना-मुसहरी के श्री मुकेश कुमार, पिता-श्री राम विलास महतो की बोलेरो से सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिवार की आर्थिक सहायता हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 50,000/-रु० (पचास हजार) की राशि स्वीकृत की गई। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत

8.	सुश्री कुमारी अलका, पिता-श्री कृष्णा प्रसाद, ग्राम+पो0-योगीपुर, थाना-हिलसा, जिला-नालंदा को बी0टेक0 कोर्स की उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के रूप में मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 45,000/- (पैंतालिस हजार) रुपये दिनांक 10.10.14 को स्वीकृत एवं राशि प्रदान की गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
9.	स्व0 शिवशंकर सिंह, भूतपूर्व पत्रकार, हिन्दुस्तान, गया के लीवर एवं किडनी रोग की चिकित्सा पर हुए व्यय के भुगतान हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती मणिका कुमारी को मुख्य मंत्री राहत कोष से 5.03 लाख (पाँच लाख तीन हजार) रुपये की स्वीकृति एवं राशि दिनांक 15.10.14 को प्रदान की गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
10.	श्री मदन गोपाल, जी0-67, पी0 सी0 कॉलनी, कंकड़बाग, पटना को द्वारा विभिन्न अस्पतालों में कैंसर रोग की चिकित्सा के उपरांत दवा क्रय हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रुपये दिनांक 07.11.14 को स्वीकृत एवं राशि प्रदान की गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
11.	श्री अहमद रजा, पिता-श्री मो0 हैदर अली, डी0एस0 कॉलेज रोड, कटिहार द्वारा Udayan Hospital, Patna में ब्रेन हेमरेज रोग की चिकित्सा के उपरांत मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 1.00 लाख (एक लाख) रुपये दिनांक 28.11.14 को स्वीकृत एवं राशि प्रदान की गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
12.	दिनांक 03.09.2014 को श्री चन्द्रबली सिंह एवं उनके पुत्र श्री शेखर कुमार सिंह, ग्राम-पतासंग, पो0-अम्बा, थाना-रहुई, जिला-नालंदा के सड़क दुर्घटना में घायल होने के फलस्वरूप उनकी चिकित्सा हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 5.00 लाख (पाँच लाख) रुपये स्वीकृत कर दिया गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
13.	छात्र श्रीनिवास कुमार, पिता-श्री दुधेश्वर पाण्डेय, ग्राम-हाथीखाप, पो0-धनगई, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद द्वारा Lucknow Institute of Technology, Lucknow के Mechanical Engg. में पढ़ाई हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 20,000/-रु0 (बीस हजार) रुपये दिनांक 04.12.14 को स्वीकृत एवं राशि प्रदान की गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत

14.	दिनांक 03.10.2014 को श्रीमती किरण देवी, पति-श्री संजय गोस्वामी, मु0-दाउद विगहा, थाना-अगमकुआँ, जिला-पटना द्वारा गाँधी मैदान, पटना में रावण वध के पश्चात् हुई भगदड़ के दौरान की गयी सराहनीय कार्य हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 25,000/-रु0 (पच्चीस हजार) रुपये स्वीकृत किया गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्वद से प्रार्थित है।	स्वीकृत
15.	दिनांक 10.01.2013 को औरंगाबाद जिला के ग्राम-तिताई बिगहा, प्रखण्ड-देव में हुई ट्रक दुर्घटना में झारखण्ड राज्य के कुल 25 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में प्रति मृतक 50,000/- रु0 की दर से कुल 12.50 लाख रु0 की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्वद की स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया
16.	गया जिला के टिकारी थानान्तर्गत थाना काण्ड संख्या-106/2000, दिनांक 19.08.2000 में राम प्रवेश मांझी, पिता-श्री रघुनाथ मांझी, सा0-पुरा की हुई हत्या के उपरांत आश्रिता अनार देवी को कुल 2.00 लाख रु0 की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराने का जिला पदाधिकारी, गया के प्रस्ताव पर न्यासी पर्वद की स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया
17.	दिनांक 13.09.2014 को गया जिला के आमस अंचल अन्तर्गत जी0टी0 रोड किनारे हुई सड़क दुर्घटना में कुल 03 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति मृतक 1.00 लाख रु0 की दर से कुल 3.00 लाख रु0 की मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का जिला पदाधिकारी, गया के प्रस्ताव पर न्यासी पर्वद की स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया
18.	दिनांक 12.01.2015 को आयोजित "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम में उपस्थित विकलांग छात्र श्री ओंकार कुमार द्विवेदी, पिता-श्री बिरेन्द्र द्विवेदी, ग्राम-सुजानचक, पो0-डंगरा, थाना-मोहनपुर, जिला-गया को आर्थिक सहायता हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 25,000/-रु0 (पच्चीस हजार) रुपये की स्वीकृति दिनांक 21.01.15 को सदस्य-सचिव द्वारा दी जा चुकी है। इसकी न्यासी पर्वद से स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया
19.	दिनांक 21.01.2015 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री के आप्त सचिव से प्राप्त पत्र के आलोक में छात्र श्री राज कुमार, पिता-श्री सुदीश कुमार, ग्राम-महकार, पो0-सपनेरी, प्रखण्ड-खिजरसराय, जिला-गया को पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता के रूप में मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 25,000/-रु0 (पच्चीस हजार) रुपये की स्वीकृति दिनांक 14.02.15 को सदस्य-सचिव द्वारा दी जा चुकी है। इसकी न्यासी पर्वद से स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया

20.	दिनांक 29.01.2015 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा अनुशंसित विकलांग छात्र श्री आनन्द प्रकाश, पिता-श्री ओम प्रकाश मंडल, ग्राम-बड़ी दरियापुर, पो0-जमालपुर, जिला-मुँगेर को आर्थिक सहायता हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये की स्वीकृति दिनांक 05.02.15 को सदस्य-सचिव द्वारा दी जा चुकी है। इसकी न्यासी पर्वद से स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया
21.	बगहा पुलिस फायरिंग में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 08.01.2015 को की गई घोषणा कि सूचना जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दी गई है। इस पर सदस्य-सचिव ने भी राशि देने का पत्र लिखा है। इसके आलोक में घायलों में श्री मदन महतो को 4.00 लाख (चार लाख रू0) तथा श्री गणेश महतो, श्री रितिक महतो तथा श्री हरिनारायण महतो को एक-एक लाख रुपये प्रति यानी कुल 7.00 लाख (सात लाख रू0) की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्वद की स्वीकृति प्रार्थित है।	सदस्य सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया
22.	अन्यान्य - न्यासी पर्वद द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को न्यासी पर्वद का आमंत्रित सदस्य मनोनीत करने का निर्णय लिया गया ।	

(चंचल कुमार)

सदस्य-सचिव, न्यासी पर्वद,
मुख्य मंत्री राहत कोष, बिहार।

परिशिष्ट 'ग'

मुख्य मंत्री राहत कोष से प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 /-रुपये प्रति मृतक की दर से स्वीकृत राशि की विवरणी:-

क्रमांक	जिला	घटना	मृतकों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹) लाख में
1	पूर्वी चम्पारण	वर्ष 2011 में चक्रवाती तुफान से हुई मृत्यु	7	3.50
2	पूर्णियाँ	वर्ष 2013 में आई बाढ़ के दौरान हुई मृत्यु	33	16.50
3	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली	अगस्त-सितम्बर 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में फँसे बिहार के नागरिकों को पैतृक स्थानों पर पहुँचाने हेतु	—	20.00
4	पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, नालंदा, जमुई, भागलपुर, दरभंगा, पटना, सुपौल, लखीसराय, बाँका एवं मुँगेर	दिनांक 30.03.2015 को विभिन्न जिलों में बेमौसम वर्षा/ओलावृष्टि के दौरान बज्रपात एवं दीवाल गिरने से हुई मृत्यु	20	10.00
कुल =			60	50.00

परिशिष्ट 'घ'

मुख्य मंत्री राहत कोष से आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं गैर-प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विवरणी:-

क्रमांक	जिला	घटना	मृतकों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹) लाख
1	शेखपुरा	दिनांक 11.09.2008 को नौका दुर्घटना में हुई मृत्यु	1	0.50
2	पूर्वी चम्पारण	दिनांक 04.08.2012 को सिवान जिला में आँधी से बस पर पेड़ गिरने से हुई मृत्यु	2	1.00
3	रोहतास	दिनांक 18.07.2013 को स्कूल की दीवाल गिरने से हुई मृत्यु	1	0.50
4	भागलपुर	दिनांक 19.08.2013 को सहरसा-मानसी रेल खण्ड के धमाराघाट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में हुई मृत्यु	1	0.50
	बेगूसराय	दिनांक 19.08.2013 को सहरसा-मानसी रेल खण्ड के धमाराघाट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में हुई मृत्यु	3	1.50
5	गया	दिनांक 05.09.2014 बाराचट्टी डैम में डूबने से हुई मृत्यु	6	3.00
6	सहरसा	दिनांक 28.10.2014 को निजी तालाब में डूबने से हुई बच्चों की मृत्यु	6	3.00
7	नवादा	दिनांक 16.12.2014 को सफीगंज में ट्रेन-बोलेरो की टक्कर में हुई मृत्यु	6	6.00
8	समस्तीपुर	दिनांक 04.03.2015 को इस्माईलपुर ग्राम में आग से जलकर बच्चों की हुई मृत्यु	4	2.00
कुल =			30	18.00